खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम रामचन्द्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारी: जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थी / अभियुक्तः–

1. श्री रामचंद्र पुत्र श्री रामूराम (खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक)
फर्म – मैसर्स पुजा जनरल स्टोर, पांचवा रोड़, कुचामन सिटी
निवासी – पांचवा रोड़, मेडिकल कॉलेज के सामने, कुचामन सिटी

जीसीएमएस न.– 2023/125

प्रकरण
संख्या :–24/2023

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 "

उपस्थितः–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबुलाल
2. वकील प्रार्थी श्री अवतार सिंह

–:निर्णय :–

दिनांक :– 30.07.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.07.2023 को समय 10:43 ए..एम. पर फर्म मैसर्स पुजा जनरल स्टोर, पांचवा रोड़, कुचामन सिटी पर पहुँचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री रामचंद्र पुत्र श्री रामूराम निवासी पांचवा रोड़, मेडिकल कॉलेज के सामने, कुचामन सिटी पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद है। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन, स्वयं के आधार कार्ड तथा स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान के निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (कृष्णम) 200–200 एम.एल. के 4 पैकेट दुकान की एक रैक में रखे है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का तीसरा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर तीनों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक FSSA / जांच रिपोर्ट / 2023 / 578 दिनांक 08.08.2023 को जांच रिपोर्ट संख्या LS/991/Act/2023/1027 दिनांक 18.07.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता मालिक से वास्ते नमूना जाँच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम) अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) एवं धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को दिनांक 06.12.2023 क्रमांक 502 से नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 28.12.2023 को अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र रामू राम मय अधिवक्ता श्री अवतार सिंह उपस्थित होकर दिनांक 28.12.2023 को एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 78 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत विनिर्माता / वितरक को पक्षकार बनाने बाबत पेश किया। जिस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अप्रार्थी श्री रामचन्द्र (विक्रेता) को पत्रांक नागौर / 2023 / क्यु–2418 दिनांक 24.08.2023 रजिस्ट्रर्ड डाक से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम) के आगामी खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु पत्र भिजवाया गया, परन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की सुचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अप्रार्थी द्वारा अब श्रीमान के न्यायालय में निर्माता फर्म को पक्षकार बनाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माता कम्पनी मैसर्स राजपुरोहित डेयरी का बिल प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में फर्म राजपुरोहित डेयरी को पत्र नागौर / 2023 / क्यु–241 दिनांक 01.05.2024 जारी कर पक्षकार बनाने बावत आवश्यक सूचना चाही गई। उक्त पत्र के सम्बन्ध में मैसर्स राजपुरोहित डेयरी अजमेर ने प्रस्तुत [illegible] राजपुरोहित डेयरी अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

का नहीं होना बताया है। अतः इस सम्बन्ध में अप्रार्थी निर्माण कर्ता राजपुरोहित डेयरी पर FIR दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है।

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 30.07.2024 को अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रस्तुत बिल निर्माता मैसर्स राजपुरोहित डेयरी अजमेर का होना बताया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया है कि अप्रार्थी श्री रामचन्द्र एक मामुली छोटा विक्रेता है।

(9) प्रकरण में प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. LS/991/Act/2023/1027 दिनांक 18.07.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:—

Opinion- The sample of Ghee bearing Code no. and Sr. no. Q-2418 of Designated officer cum Chief Medical and Health Officer, Nagaur is Sub Standards as it is not derived exclusively from milk or poroducts obtained from milk as it contain foreign fat (the Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty acid profile of ghee). The sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रामचंद से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी(कृष्णम) नमूना नं.—2418 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii), 3(1)(zx) के तहत अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) है और रेग्यूलेशन न. 2.3.7.(2) के तहत कोन्ट्रावेन्स होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), धारा 3(1)(zx) एंव 51 इस प्रकार है:—

धारा 26:— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः—

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:—

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या [illegible] पदार्थ मिले हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

धारा 51

कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का जो अवमानक है, मानव उपभोग के लिए, विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो पांच लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा – 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(zx) "अवमानक" से कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है किन्तु उसमें खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है

(10) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एंव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान से खाद्य पदार्थ घी (कृष्णम) की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसार जांच रिपोर्ट खाद्य कारोबारकर्ता रामचंद से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमूना Q–2418 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (zx) के तहत अवमानक (सबस्टैण्डर्ड) होना पाया गया है। जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं रेग्यूलेशन न. 2.3.7.(2) के तहत कोन्ट्रावेन्स है। जो इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। चूकि अप्रार्थी रामचन्द्र निर्माता कम्पनी मैसर्स राजपुरोहित डेयरी अजमेर पर FIR करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः हस्तगत प्रकरण में अवमानक(सबस्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर फर्म–मैसर्स पुजा जनरल स्टोर, पांचवा रोड़, कुचामन सिटी खाद्यकारोबारकर्ता रामचंद्र पुत्र श्री रामूराम निवासी पंचवा रोड़, मेडिकल कॉलेज के सामने, कुचामन सिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक रामचंद्र पुत्र श्री रामूराम निवासी पांचवा रोड़, मेडिकल कॉलेज के सामने, कुचामन सिटी फर्मः– मैसर्स पुजा जनरल स्टोर, आर एन टी स्कुल, पांचवा रोड़, कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन पर राशि रुपये 5,000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad
Date: 2025.12.31 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(11) आदेश दिनांक 30.07.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:21:10 IST
Reason: SelfAttested